

एग्री क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय

1.	योजना का नाम	एग्री क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	कृषि स्नातकों को उनके निजी कार्य प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक एवं योग्य ऋण उपलब्ध करवाना।
3.	प्रारम्भ वर्ष	2001-02
4.	लाभान्वित वर्ग	कृषक स्नातक
5.	पात्रता	कृषक स्नातक
6.	देय सुविधाएँ	कृषि स्नातकों को उनके कृषि व्यवसाय स्थापित करने हेतु स्थाई एवं कार्यशील पूँजी ऋण स्वरूप उपलब्ध करवायी जाती है।
7.	आवेदन का तरीका	बैंक के आवश्यक पत्रादि के साथ चाहे गये उद्देश्य के अनुरूप योजना ऋण आवेदन पत्र के साथ सलंगन की जावें।
8.	आवेदन कहाँ किया जावे	समीपस्थ प्राथमिक भूमि विकास बैंक की शाखा।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएँ	अन्तिम जमाबन्दी, गत तीन वर्षों की गिरदावरी, भूमि का नक्शा, संबंधित वित्तीय संस्थाओं के ना-बकाया प्रमाण पत्र, प्रार्थी के दो फोटो(सरपंच द्वारा प्रमाणित), कृषि स्नातक द्वारा तैयार की गई योजना, कार्य विशेष में कृषि स्नातक की दक्षता संबंधी प्रमाण पत्र ।
10.	सम्पर्क सूत्र	समीपस्थ प्राथमिक भूमि विकास बैंक की शाखा।